न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवंपदेनराजस्वअपीलअधिकारीउदयपुर

पीठासीनअधिकारी :–अनीतामीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 7 / 2020(राजसमन्दआर्डर)

1. नरपतसिंहपितादुर्गादानजीचारण, निवासीमादडीदेवस्थान, तहसील व जिलाराजसमन्द(राज.)
2. सुमेरसिंहपिताकेशरसिंहजीचुण्डावत, निवासीमादडीदेवस्थान, तहसील व जिलाराजसमन्द(राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. देवीसिंहपिताकिशनसिंहजीराजपूत, निवासीमादडीदेवस्थान, तहसील व जिलाराजसमन्द(राज.)
2. रोड़सिंहपिताकिशनसिंहजीराजपूतनिवासीमादडीदेवस्थान, तहसील व जिलाराजसमन्द(मृतक) के विधिकवारिसान :–

2 / 1. समनियारबाईपत्नीस्वर्गीय रोडसिंहनिवासीमादडीदेवस्थान, तहसील व जिलाराजसमन्द(राज.)

2 / 2. मीराबाईपत्नीस्वर्गीय हरिसिंहनिवासीमादडीदेवस्थान, तहसील व जिलाराजसमन्द(राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपीलअन्तर्गत धारा225राजस्थान
काश्तकारीअधिनियम–1955विरूद्ध
निर्णयउपखण्डअधिकारीराजसमन्द
दिनांक18.02.2020प्र॰सं॰12 / 2017

–––/–––

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्रीशेषमलगायरीअभिभाषकअपीलान्टगण
2. श्रीडी.एस. चुण्डावतअभिभाषकरेस्पोन्डेन्टगण

–––::–––

निर्णयदिनांक26–07–2022

प्रकरण के संक्षेपमेंतथ्यइसप्रकारहैकिअधिनस्थन्यायालय मेंहालअपीलान्टगण ने एक [illegible] प्रार्थनापत्रअन्तर्गत धारा 251एराजस्थानकाश्तकारीअधिनियमकाप्रस्तुतकर निवेदनकियाकिप्रार्थीगणग्राममाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:55:50 IST
Reason: SelfAttested

डीदेवस्थान की आराजीनंबर 480, 481, 482 किता 3 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा के खातेदारहोकरअपने खेतमेंआने–जाने व बैलगाड़ी, ट्रेक्टरआदिलेजाने के लिए विपक्षीगण की आराजीनंबर 463 व 464 काउपयोगकरतेहैं, किन्तुविपक्षीगणआयेदिनलड़ाई–झगड़ाकरतेहैं।प्रार्थीगण के खेतोंमेंआने–जानेहेतु एक मात्र यहीरास्ताहै।अतः प्रार्थीगणकोविपक्षीगण की आराजीनंबर 463 व 464 मेंसे 30 फिटचौड़ारास्तादिलायाजाकरराजस्वरेकार्डमेंबिलानामरास्ताअंकितकियाजावे।

विपक्षी संख्या 1 ने खण्डनकाजवाबप्रस्तुतकरनिवेदनकियाकिप्रार्थीगण के पासउसके खेतोंपरआने–जानेहेतुपहलेसेहीरास्ताविद्यमानहैइसलिए कानूननप्रार्थीगणविपक्षीगण की भूमिसेनयारास्ताप्राप्तकरने के अधिकारीनहींहैं।अतःप्रार्थीगणकाप्रार्थनापत्र खारिजकियाजावे।

अधिनस्थन्यायालय ने उभयपक्षों की बहससुनकरअपनेनिर्णय दिनांक18–02–2020सेप्रार्थीगणकाप्रार्थनापत्रखारिजकरदिया,जिससेरूष्ट होकरअपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारादिनांक29–07–2020कोइसन्यायालय मेंयह अपीलप्रस्तुत की गयीहै।

अपीलदर्जरजिस्टर की जाकररेस्पोन्डेन्टगणकोतलबकियेजानेपररेस्पोन्डेन्टगण की ओरसेवकीलश्रीडी. एस. चुण्डावतउपस्थितहुए।अधिनस्थन्यायालय की पत्रावलीतलब की जाकरउभयपक्ष की बहससुनीगयी।

विद्वानवकीलअपीलान्ट ने अपीलमीमोंमेंवर्णिततथ्योंकोपुनः वक्तबहसदोहराया एवंबतायाकिअधिनस्थन्यायालय ने पत्रावलीकासहीतरीकेसेअवलोकननहींकियाहै एवंविपक्षीगण के जवाब एवंतहसीलदार की रिपोर्ट के आधारपरअपीलान्ट/प्रार्थीगणकाप्रार्थनापत्र खारिजकरदियाहै, जोनिरस्त योग्य है।आराजीनंबर 463 व 464 मेंरास्तामौजूदहै, जिसेरेस्पोन्डेन्ट ने कच्चेपत्थरों की दीवारसेबन्दकरदियाहै।अधिनस्थन्यायालय ने विपक्षीगण के जवाबकोआधारमानतेहुए वैकल्पिकरास्तामाननेमेंभूल की है।अतः अपीलअपीलान्टस्वीकारकरअधिनस्थन्यायालय कानिर्णय निरस्तकियाजावेतथाअपीलान्टगणकोअपने खेतोंपरआने–जाने एवंबैलगाड़ी व

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:55:50 IST
Reason: SelfAttested

ट्रैक्टरलानेलेजानेहेतुअधिनस्थन्यायालय मेंप्रस्तुतप्रार्थनापत्र अनुसाररास्तदिलायाजावे।

विद्वानअभिभाषकरेस्पोन्डेन्ट ने उक्तबहसका खण्डनकरतेहुए बतायाकिअपीलान्टगण के खेतोंपरआने–जानेहेतुपहलेसेहीरास्ताउपलब्ध है। ऐसीस्थितिमेंअधिनस्थन्यायालय ने अपीलान्टकाप्रार्थनापत्र खारिजकरनेमेंकिसीप्रकार की त्रुटिनहीं की है।अतः अपीलअपीलान्टसारहीनहोनेसे खारिज की जावे।

हमनेउभयपक्षों की बहसपरमननकरपत्रावलीकाअवलोकनकिया।अधिनस्थन्यायालय की पत्रावलीपरउपलब्ध मौकारिपोर्टदिनांक 23–01–2018 जोउभयपक्षों की उपस्थितिमेंतैयार की गयीहै, उसकेअनुसारअपीलान्टगण की भूमिपरआने–जानेहेतुवैकल्पिकरास्ताउपलब्ध है।अधिनस्थन्यायालय ने उक्तमौकारिपोर्ट के आधारपरअपनेविवेचनमेंस्पष्ट रूपसेअंकितकियाहैकि''प्रार्थीगणकोअपनी खातेदारीभूमिमेंआनेजानेहेतुवैकल्पिकरास्तामौकेपरउपलब्ध है।राजस्थानकाश्तकारीअधिनियम की धारा 251ए के तहतनयारास्तातभीदियाजासकताहैजबकिनयेरास्ते की आत्यंतिकआवश्यकताहोऔर यह जोत के केवलसुविधाजनकउपभोग के लिए नहींहो, परन्तुइसप्रकरणमेंरास्ते की नातोआत्यंतिकआवश्यकाताहै, नाहीवैकल्पिकरास्तेकाअभावहै।'' अधिनस्थन्यायालय के उपरोक्तविवेचनसेहमपूरीसहमतहैं।तद्नुसारहमअधिनस्थन्यायालय के निर्णय मेंकिसीप्रकारकाहस्ताक्षेपकरनाउचितनहीं समझतेहैं।

अतःअपीलअपीलान्टसारहीनहोनेसे खारिज की जाकरअधिनस्थन्यायालय कानिर्णयदिनांक18–02–2020यथावत रखाजाताहै।पत्रावलीबादपूर्णप्रविश्टिनंबरसे कम होकरदाखिलदफ्तरहो।अधिनस्थन्यायालय की पत्रावलीलौटाईजावे।निर्णय आजदिनांक26–07–2022को खुलेन्यायालय मेंसुनायागया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवंपदेनराजस्वअपीलअधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:55:50 IST
Reason: SelfAttested